पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-IV

"मिशन शक्ति 5.0-शिक्षित नारी, सशक्त समाज,मिशन शक्ति का यही प्रयास"

थाना माल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कस्बा माल थाना माल लखनऊ में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों,सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर सिखाए आत्मरक्षा के प्रभावी तरीके।

दिनांक –31.05.2026

लखनऊ, दिनांक: 22 अक्टूबर, 2025 - पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत थाना माल क्षेत्र में मंगलवार को एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है।

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ, के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु व्यापक जागरूकता गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। इस क्रम में, जनपद के 54 थानों पर **मिशन शक्ति केंद्र** स्थापित किए गए हैं, जहाँ महिला संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु समर्पित अधिकारियों (निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक, महिला उपनिरीक्षक) की नियुक्ति की गई है।

आयोजन/आयोजन स्थल-

- ✓ म0का0 आरती कश्यप थाना माल कमि0 लखनऊ
- ✓ म0का0 नीलम भारद्वाज थाना माल लखनऊ कमिश्नरेट
- ✓ थाना **माल क्षेत्र**, लखनऊ के अंतर्गत **ग्राम कस्बा माल थाना माल लखनऊ** में मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आयोजक टीम-

- म0का0 आरती कश्यप थाना माल कमि0 लखनऊ
- म0का0 नीलम भारद्वाज माल कमिश्नरेट लखनऊ।
- थाना माल के अन्य महिला कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:-

थाना **माल क्षेत्र,** लखनऊ के अंतर्गत **ग्राम कस्बा माल थाना माल लखनऊ** में मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके **कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों, सरकारी योजनाओं** एवं **आत्मरक्षा के तरीकों** के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में बताया गया कि यूपी पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न सेवाओं को क्रियाशील किया गया है, जिनमें महिला हेल्पलाइन, स्मार्ट सिटी कैमरे, और फील्ड पुलिस पेट्रोलिंग जैसे उपाय शामिल हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्हें आत्मरक्षा और सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के तरीकों पर शिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देना

कार्यक्रम के दौरान टीम ने महिलाओं को बताया कि **उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु** कई प्रभावी सेवाएँ संचालित की जा रही हैं, जैसे:

- **1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन)**
- **181 (महिला हेल्पलाइन)**
- **112 (आपातकालीन सेवा)**
- **1098 (चाइल्डलाइन)**
- **1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन)**
- **UP-COP मोबाइल ऐप** का उपयोग

इसके साथ ही **स्मार्ट सिटी कैमरे**, **फील्ड पेट्रोलिंग यूनिट**, एवं **एंटी रोमियो स्क्वॉड** के कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

महिलाओं को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा या साइबर अपराध की स्थिति में वे इन हेल्पलाइन सेवाओं के माध्यम से तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

मुख्य जागरूकता बिंदुः-

1. महिलाओं को **आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता** के लिए प्रेरित किया गया।
2. **"गुड टच" और "बैड टच"** के माध्यम से संवेदनशील विषयों पर जागरूकता बढ़ाई गई।
3. **साइबर अपराधों से सुरक्षा** हेतु सावधानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया समझाई गई।
4. **बाल विवाह निषेध, महिला अधिकार एवं सरकारी योजनाओं** से संबंधित जानकारी दी गई।
5. उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं में जागरूकता हेतु **पम्फलेट और जानकारी पत्रक वितरित किए गए।**

उद्देश्य एवं महत्व-

मिशन शक्ति 5.0 अभियान न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास करा रहा है, बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रख रहा है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-III

दिनांक- 31.05.2026

मिशन शक्ति 5.0-समाज की नई चेतना, साइबर सुरक्षा है अब हमारी जिम्मेदारी!"

थाना कृष्णानगर की टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के तहत सराफा क्षेत्र, थाना कृष्णानगर में महिलाओं और बच्चों को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्प डेस्क, साइबर अपराध, यातायात माह और महिला कल्याण योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देकर किया जागरूक।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही बहुप्रशंसित योजना **"मिशन शक्ति 5.0"** के तहत आज लखनऊ कमिश्नरेट के थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत टीम द्वारा **सराफा क्षेत्र, थाना कृष्णानगर** में विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

यह जागरूकता कार्यक्रम **सराफा क्षेत्र, थाना कृष्णानगर** में चलाया गया, जिसमें महिला, छात्राओं और बच्चों को महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को **सुरक्षा, अधिकारों एवं सरकारी सहायता, सेवाओं** के प्रति जागरूक करना था।

मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी नवीनतम कड़ी, मिशन शक्ति 5.0, के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में, थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत अवध चौराहा मंगल बाजार में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आयोजक/आयोजन स्थान -

महिला बीट टीम, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ

- **उप निरीक्षक डी.के. नायक**
- **महिला उप निरीक्षक निशा**
- **महिला मुख्य आरक्षी रेनू**
- **महिला आरक्षी पूनम**

स्थान :सराफा क्षेत्र, थाना कृष्णानगर, जनपद लखनऊ

प्रतिभागी: -

महिला बीट टीम, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ

- **उप निरीक्षक डी.के. नायक**
- **महिला उप निरीक्षक निशा**
- **महिला मुख्य आरक्षी रेनू**
- **महिला आरक्षी पूनम**

स्थान :सराफा क्षेत्र, थाना कृष्णानगर, जनपद लखनऊ क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने हेतु जनसंपर्क अभियान चलाया गया।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:

महिला बीट अभियान के अंतर्गत आज दिनांक **31.05.2026** को थाना कृष्णानगर की महिला बीट टीम द्वारा **सराफा क्षेत्र** में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने हेतु जनसंपर्क अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान महिलाओं को **महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं महिला अधिकारों** के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उन्हें महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु संचालित विभिन्न **पुलिस हेल्पलाइन नंबरों** जैसे **112, 1090, 181, 1076, 1098, 102 एवं 108** के संबंध में जागरूक करते हुए आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया।

महिला बीट टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं को **महिला हेल्प डेस्क, महिला सुरक्षा केंद्र, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी सेवा एवं यूपी कॉप एप** के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न अथवा अन्य अपराध की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया गया।

इसके अतिरिक्त महिलाओं एवं बालिकाओं को **साइबर अपराधों से बचाव** के संबंध में जागरूक करते हुए फर्जी कॉल, ऑनलाइन ठगी, ओटीपी साझा करने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने एवं सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** के बारे में अवगत कराते हुए किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज कराने हेतु प्रेरित किया गया।

अभियान के दौरान महिलाओं से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को भी सुना गया तथा उन्हें सुरक्षा संबंधी किसी भी समस्या पर पुलिस से तत्काल संपर्क करने के लिए जागरूक किया गया।

निष्कर्ष एवं महत्व

1. सामुदायिक जुड़ाव एवं सीधा संवाद: यह आयोजन पुलिस प्रशासन और समुदाय विशेषकर महिलाओं के बीच सीधे संवाद का एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ। अवध चौराहा जैसे सार्वजनिक स्थल पर आयोजन ने आम महिलाओं तक सीधे पहुंचना संभव बनाया।

2. जागरूकता का सीधा प्रसार: कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 20-25 महिलाओं एवं बच्चों को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों और उनके उपयोग की सीधी जानकारी प्रदान की गई। इससे उन्हें आपात स्थितियों में त्वरित और सही कार्यवाही करने में मदद मिलेगी।

3. महिला सुरक्षा संसाधनों से परिचय: थाना स्तर पर उपलब्ध महिला सुरक्षा केंद्र और हेल्प डेस्क जैसे विशेष संसाधनों के बारे में लोगों को अवगत कराना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इससे महिलाओं का पुलिस तंत्र के प्रति विश्वास बढ़ेगा और वे शिकायत दर्ज करने में कम झिझक महसूस करेंगी।

4. सरकारी योजनाओं तक पहुंच: महिला कल्याण से जुड़ी विभिन्न राज्य सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें उनके अधिकारों और उपलब्ध लाभों के प्रति जागरूक किया गया। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक कदम है।

5. मिशन शक्ति अभियान की सार्थकता: यह कार्यक्रम "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर ले जाने का एक सफल प्रयास था। इससे स्पष्ट है कि महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता केवल कागजी दस्तावेज तक सीमित नहीं है।

6. सतत प्रयास का आधार: पम्पलेट वितरण जैसी पहल ने इस जागरूकता को एक स्थायी रूप दिया है, जिससे महिलाएं आवश्यकता पड़ने पर इन जानकारियों का संदर्भ ले सकेंगी। कुल मिलाकर, यह कार्यक्रम एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम था, जिसने महिला सुरक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक और ठोस प्रभाव छोड़ा है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

दिनांक- 31.05.2026

मिशन शक्ति 5.0-अलीगंज के पुरनिया क्षेत्र में बच्चियों को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में को सशक्त बनाने का अनूठा अभियान

थाना अलीगंज टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 08/05/2026 पुरनिया क्षेत्र थाना अलीगंज जनपद लखनऊ बच्चियों को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में किया गया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

अयोजक/आयोजन स्थल

- **उपनिरीक्षक शिवानी मिश्रा**, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- **उप निरीक्षक रविंद्र नाथ प्रजापति,** थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- **उप निरीक्षक उषा सिंह,** थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- **मिशन शक्ति पुलिस टीम**, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- **अलीगंज के पुरनिया क्षेत्र में।**

प्रतिभाग-

- **उपनिरीक्षक शिवानी मिश्रा**, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- **उप निरीक्षक रविंद्र नाथ प्रजापति,** थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- **उप निरीक्षक उषा सिंह,** थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- **मिशन शक्ति पुलिस टीम**, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- **अलीगंज के पुरनिया क्षेत्र में** महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरुक।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक **31.05.2026** को थाना अलीगंज, जनपद लखनऊ की टीम द्वारा **पुरानियाँ चौकी क्षेत्र** में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने हेतु विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को **महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं महिला अधिकारों** के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु संचालित विभिन्न **पुलिस हेल्पलाइन नंबरों** के बारे में जागरूक करते हुए **112 (आपातकालीन सेवा), 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन) एवं 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन)** की जानकारी दी गई तथा आवश्यकता पड़ने पर इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

मिशन शक्ति टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं को **महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी सेवा एवं यूपी कॉप एप** के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या अथवा उत्पीड़न की स्थिति में इन सुविधाओं का लाभ लेकर तत्काल सहायता प्राप्त की जा सकती है।

वर्तमान समय में बढ़ रहे **साइबर अपराधों** के दृष्टिगत महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति विशेष रूप से जागरूक किया गया। उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक, सोशल मीडिया फ्रॉड एवं ओटीपी साझा करने से होने वाले जोखिमों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज कराने हेतु **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** के बारे में अवगत कराया गया।

अभियान के दौरान उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को सतर्क, जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया तथा उन्हें अपने अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- महिलाओं एवं बच्चों में मिशन शक्ति व साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- हेल्पलाइन नंबरो के बारे में विस्तार पूर्वक समझाना।
- साइबर अपराधों के प्रति सजग करना।

मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम

मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चियों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सहायता सेवाओं के प्रति संपूर्ण रूप से सजग और सशक्त बनाना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से:

1. महिलाओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की पहचान और रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई।
2. महिला संबंधी सरकारी योजनाओं तथा हेल्पलाइन नंबरों (जैसे 1090, 181, 112, 1930 आदि) से अवगत कराया गया, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त की जा सके।
3. बच्चियों को बैड टच व गुड टच के प्रति सचेत किया गया और उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के गुर सिखाए गए।
4. महिला हेल्प डेस्क व मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका से परिचित कराकर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।
5. आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का संदेश देकर महिलाओं और बालिकाओं को स्वावलंबी बनने की दिशा में प्रोत्साहित किया गया।

इस प्रकार, यह कार्यक्रम महिला सुरक्षा, कानूनी जागरूकता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु एक सार्थक प्रयास साबित हुआ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

दिनांक- 31.05.2026

मिशन शक्ति 5.0-जागरूकता ही कवच है, सुरक्षित हर पल, सशक्त हर भविष्य।

महिला थाना द्वितीय पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना बीकेटी क्षेत्र के बड़ी बाजार में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के तहत बाल एवं महिला से सम्बंधित पुलिस हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, साइबर क्राइम एवं यूपी कॉप एप के बारे में किया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान एक सराहनीय कदम है जो महिला सशक्तिकरण के संदेश को देश के कोने-कोने तक पहुँचाने में मदद कर रहा है। यह न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास कराता है बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रखता है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल

मिशन शक्ति टीम, महिला थाना द्वितीय लखनऊ कमिश्रेट

- **म0का0 ज्योति सिंह**
- **म0का0 प्रतिभा सिंह**
- **का0 अमित कुमार**

स्थान :बड़ी बाजार, थाना बीकेटी, जनपद लखनऊ

प्रतिभाग-

मिशन शक्ति टीम, महिला थाना द्वितीय लखनऊ कमिश्रेट

- **म0का0 ज्योति सिंह**
- **म0का0 प्रतिभा सिंह**
- **का0 अमित कुमार**

स्थान :बड़ी बाजार, थाना बीकेटी, जनपद लखनऊ क्षेत्र बीकेटी में जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक **31.05.2026** को महिला थाना द्वितीय, कमिश्नरेट लखनऊ की टीम द्वारा **बड़ी बाजार, थाना बीकेटी क्षेत्र** में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने हेतु विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान उपस्थित महिलाओं को **महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं महिला अधिकारों** के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उन्हें महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न **पुलिस हेल्पलाइन नंबरों एवं आपातकालीन सेवाओं** के बारे में अवगत कराया गया। टीम द्वारा **112 (आपातकालीन सेवा), 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 102 एवं 108 (स्वास्थ्य सेवाएं)** के महत्व एवं उपयोगिता के संबंध में जानकारी दी गई।

जागरूकता कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को **महिला हेल्प डेस्क, महिला सुरक्षा केंद्र, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी सेवा तथा यूपी कॉप एप** के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया तथा आवश्यकता पड़ने पर इन सेवाओं का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया।

वर्तमान समय में बढ़ रहे **साइबर अपराधों** के दृष्टिगत महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया गया। टीम द्वारा **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** की जानकारी देते हुए ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी लिंक, ओटीपी शेयरिंग, सोशल मीडिया फ्रॉड एवं डिजिटल भुगतान से संबंधित अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। साथ ही किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज कराने हेतु प्रेरित किया गया।

इसके अतिरिक्त महिलाओं को **मिशन शक्ति अभियान** के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न **कल्याणकारी एवं जनहितकारी योजनाओं** की जानकारी प्रदान की गई तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं ने जागरूकता अभियान में उत्साहपूर्वक सहभागिता की तथा महिला सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं।

कार्यक्रम के उद्देश्य

1. कानूनी जागरूकता

महिलाओं को उन आचरणों एवं व्यवहारों की जानकारी दी गई जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। उन्हें अपने अधिकारों एवं कानूनी सीमाओं के प्रति जागरूक किया गया ताकि वे आत्मरक्षा और न्याय की दिशा में सशक्त बन सकें।

2. साइबर सुरक्षा एवं ऑनलाइन जागरूकता

महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। उन्हें यह समझाया गया कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें, और किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

3. सहायता केंद्रों की जानकारी

थाना स्तर पर संचालित महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, एवं मिशन शक्ति केंद्र की उपलब्ध सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि वे इन केंद्रों से सहायता, परामर्श एवं शिकायत दर्ज करने हेतु संपर्क कर सकती हैं।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-893
दिनांक-31.05.2026

जोन-उत्तरी/थाना-महिगवां

➢ **थाना महिगवां पुलिस टीम द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले कुल 06 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही कर मा0 न्यायालय भेजा गया।।**

01-संक्षिप्त विवरण-

प्रकरण-1

दिनांक 31.05.2026 को आवेदक श्री कमलाकान्त पुत्र मनोहर निवासी ग्राम कन्हईपुर मजरा कुम्हरावा थाना महिगवां, जनपद लखनऊ द्वारा सूचना दी गई कि विपक्षी संदीप यादव पुत्र राधेलाल निवासी उपरोक्त द्वारा खेत की सिंचाई हेतु मोटर चलाने के विवाद को लेकर गालीगलौज एवं मारपीट की जा रही है। दोनों पक्ष थान-ा स्थानीय पर उपस्थित हुए तथा थाना गेट पर पुनः विवाद करने लगे। पुलिस द्वारा समझानेबुझाने का प्रयास किया गया-, किन्तु संदीप यादव उत्तेजित होकर आमादा फौजदारी होने लगा। शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त संदीप यादव को समय करीब 13:10 बजे अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

प्रकरण-2

दिनांक 31.05.2026 को उ0नि0 अमित सिंह मय हमराह उ0नि0 सुनील कुमार ग्राम बिन्धौरा में मु0अ0सं0 65/2026 एवं 66/2026 से सम्बन्धित पूछताछ कर रहे थे। इसी दौरान प्रथम पक्ष के राजीव द्विवेदी पुत्र सत्यांश द्विवेदी एवं द्वितीय पक्ष के रामसिंह पुत्र रामनाथ वर्मा तथा अनुभव सिंह चौहान पुत्र मदन मोहन चौहान आपस में गाली गलौज एवं कहासुनी करते हुए आमदा फौजदारी होने लेग। पुलिस द्वारा समझाने बुझाने का पर्याप्त प्रयास किया गया, किन्तु उक्त व्यक्ति उत्तेजित बने रहे। शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए राजीव द्विवेदी, रामसिंह एवं अनुभव सिंह चौहान को समय करीब 12:05 बजे अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

प्रकरण-3

दिनांक 31.05.2026 को भूमि विवाद सम्बन्धी प्रार्थना पत्र की जाँच के क्रम में प्रथम पक्ष के रवीन्द्र कुमार रावत एवं द्वितीय पक्ष के देशराज गौतम तथा अंकित को थाना स्थानीय पर पूछताछ हेतु तलब किया गया था। पूछताछ के दौरान द्वितीय पक्ष के देशराज गौतम एवं अंकित द्वारा पुराने भूमि विवाद को लेकर रवीन्द्र कुमार रावत से विवाद किया जाने लगा। पुलिस द्वारा दोनों को समझानेबुझाने का प्रयास किया गया-, किन्तु दोनों व्यक्ति उत्तेजित होकर आमादा फौजदारी होने लगे, जबकि रवीन्द्र कुमार रावत शांत रहे। प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए देशराज गौतम एवं अंकित को समय करीब 11:10 बजे अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार सभी अभियुक्तगण उपरोक्त की गिरफ्तारी के दौरान मा0 सर्वोच्च न्यायालय एंव राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का बाखूबी पालन किया गया तथा अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया ।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.संदीप यादव पुत्र राधेलाल निवासी ग्राम कन्हईपुर मजरा कुम्हरावा थाना महिंगवा जनपद लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष
2.राजीव द्विवेदी पुत्र सत्यांस द्विवेदी निवासी- ग्राम बिन्धौरा पोस्ट चकबीबीपुर थाना महिगवाँ जनपद लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष।
3.रामसिंह पुत्र रामनाथ वर्मा निवासी चकबीबीपुर थाना महिगवां जनपद लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष।
4.अनुभव सिंह चौहान पुत्र मदन मोहन चौहान निवासी ग्राम हरिहरपुर थाना कमलापुर जनपद सीतापुर उम्र करीब 24 वर्ष।
5.देश राज गौतम पुत्र स्व. भगवान दीन निवासी ग्राम इन्दारा थाना महिगवाँ, जनपद लखनऊ, हुलिया उम्र करीब 55 वर्ष
6.अंकित पुत्र देश राज गौतम निवासी ग्राम इन्दारा थाना महिगवाँ, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 22 वर्ष।

03-गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना महिगवां लखनऊः-

1. थानाध्यक्ष श्री राधे श्याम मौर्य (नेतृत्वकर्ता)
2. उ0नि0 श्री सुनील कुमार
3. उ0नि0 श्री अमित सिंह
4. उ0नि0 श्री सतीश सिंह
5. उ0नि0 गौरी शंकर यादव
6. का0 अरुण गोस्वामी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-891
दिनांक-31.05.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-कृष्णानगर

- **थाना कृष्णानगर पुलिस व सर्विलांस टीम (दक्षिणी) की संयुक्त कार्यवाही।**
- **अन्तर्राज्यीय लूट/छिनैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, कुल-07 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से ज्वैलरी/नगदी एवं लूटी गयी सिगरेट का थैला बरामद।**
- **घटना में प्रयुक्त तीन अदद वाहन बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.05.2026 को वादी श्री रामबाबू पुत्र मुल्ला प्रसाद चौरसिया निवासी-कुन्दन विहार नियर डिप्टी खेड़ा लखनऊ की तहरीरी सूचना पर पंजीकृत मु0अ0सं0-231/2026 धारा 304(2) भा0न्या0सं0 थाना कृष्णानगर लखनऊ, बनाम अज्ञात व्यक्ति, बाबत मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियो द्वारा वादी की मोटरसाइकिल पर रखे बैग को लेकर भाग जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत है।

अभियोग के सफल अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) महोदय के निर्देशन में 04 टीमें गठित की गयीं। जिनके द्वारा 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की चेकिंग की गयी, साथ ही मैनुअल व इलेट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर एक शातिर अन्तर्राज्यीय लूट/छिनैती गैंग के दो सदस्यों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया तथा इनकी निशानदेही पर अन्य पांच सदस्यों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गयी, जिनके पास घटना में प्रयुक्त एक अदद अर्टिगा चार पहिया वाहन , दो अदद मोटर साइकिल व लखनऊ में अलग-अलग थानों में कारित किये गये घटना से सम्बन्धित माल बरामद करते हुए न्यायिक अभिरक्षा भेजा जा रहा है।

02-मॉड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तार अभियुक्तों से टीमों द्वारा गहनता से पूछताछ की गयी, प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त रोहन उर्फ गुड्डू गिरोह का सरगना है जो मूल रूप से दिल्ली का निवासी है तथा इसके अन्य साथी भी दिल्ली के रहने वाले हैं जो घटना करने के लिये एक चार पहिया वाहन व दो मोटर साइकिल से निकलते हैं। ये सभी मोटर साइकिल पर बाइक राइडर की वेशभूषा में रहते हैं। तथा पहचान से बचने के लिये नम्बर प्लेट पर ह्वाइट रंग का स्प्रे कर देते हैं। जिससे इन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। अभियुक्तगण महानगरों के सूनसान इलाके में अपनी मोटर साइकिल खडी कर अपनी चार पहिया अर्टिगा कार से क्षेत्र की रेकी कर उपयुक्त स्थानों एवं संभावित लक्ष्यों का चयन करते हैं। गिरोह के सदस्य अपनी पहचान छिपाने तथा पुलिस की निगाहों से बचने के उद्देश्य से ढाबों एंव सुलभ शौचालयों का प्रयोग करते हैं तथा 5-6 घण्टे से अधिक एक साथ स्थान पर नहीं रुकते हैं एंव घटना कारित करने के समय मोबाइल फोन को भी इस्तेमाल नही करते थे तथा झुग्गी-झोपड़ियों अथवा सुनसान स्थानों के निकट टेंट लगाकर अस्थायी रूप से निवास करते हैं।

अभियुक्तों ने बताया कि घटना को अंजाम देने के लिए प्रायः मोटरसाइकिल का प्रयोग किया जाता है। वारदात के उपरान्त प्रयुक्त मोटरसाइकिल को किसी सुनसान स्थान पर छोड़ दिया जाता है तथा गिरोह के अन्य सदस्य पहले से तैयार

अर्टिगा कार से उन्हें लेकर फरार हो जाते हैं।

- इनके द्वारा जनपद लखनऊ के अतिरिक्त अन्य जिलो में भी घटनाओं को कारित करना बताया गया। जिसके बारे में जानकारी की जा रही है।
- अभियुक्तों द्वारा जनपद लखनऊ के थाना आशियाना अन्तर्गत पावर हाउस के पास चैन छिनैती की गयी तथा सुशान्त गोल्फ सिटी से 02 दिवस पूर्व मारपीट कर कैश स्नैचिंग की घटना की गयी।
- कुछ दिन पूर्व पीजीआई लखनऊ के पास एक महिला से पर्स की छिनैती करना बताया गया साथ ही साथ थाना कृष्णानगर में एक चैन स्नैचिंग की घटना के साथ एसकेडी अस्पताल के पास से सिगरेट से भरे एक थैले को छीन कर भाग जाने की घटना स्वीकार की गयी।
- अन्य जनपदों से सम्पर्क आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अभियुक्तगण दिल्ली से कई बार जेल गये हैं। चूँकि ये संगठित गिरोह है खतरनाक तरीके से घटना को अंजाम देते हैं जिनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की जायेगी।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. रोहन उर्फ गुड्डू पुत्र शिव कुमार निवासी-म0नं0-236 मदरासी मंदिर के पास थाना अम्बेडकर नगर दक्षिण पूर्वी दिल्ली-23 वर्ष। (मुठभेड़ में गिरफ्तार)

- शिक्षा-8th
- व्यवसाय- फास्ट फूट का ठेला लगाना।

2. साहिल पुत्र सूरज उर्फ राना निवासी-डेल्टा प्रथम 471 मदनगिरि थाना अम्बेडकरनगर दक्षिणपूर्वी दिल्ली-21 वर्ष। (मुठभेड़ में गिरफ्तार)

- शिक्षा-अनपढ़।
- व्यवसाय- कपडे की फेरी लगाना।

3. रवि चौरसिया पुत्र आशीष चौरसिया निवासी-बी-210 जे0जे0 कालोनी खानपुर थाना नेबसराय दक्षिण पूर्वी दिल्ली-29 वर्ष ।

- शिक्षा-12th
- व्यवसाय-IGT कॉल सेंटर दिल्ली में गाड़ी चलाना।

4. सुमित पुत्र गुरुस्वामी निवासी-ए-30 इन्द्रपुरी थाना बुद्धनगर उत्तरी दिल्ली-23 वर्ष।

- शिक्षा-अनपढ़।
- व्यवसाय-बैट्री ई-रिक्शा चालक।

5. अरुन उर्फ बुवन पुत्र रमेश निवासी-एच 1, 118 मदनगिरि थाना अम्बेडकर नगर दक्षिण पूर्वी दिल्ली -24 वर्ष।

- शिक्षा-अनपढ़।
- व्यवसाय- मो0सा0 मैकेनिक।

6. सुमित उर्फ लेफ्टी पुत्र रामकेश निवासी-सी-1 896 मदनगिरि थाना अम्बेडकरनगर दक्षिण पूर्वी दिल्ली-22 वर्ष।

- शिक्षा-अनपढ़।

- व्यवसाय-रैपिडो चालक।

7. समीर उर्फ अनुराग पुत्र कालीदास निवासी डी-2, 229 मदनगिरि थाना अम्बेडकरनगर दक्षिण पूर्वी दिल्ली -24 वर्ष।

- शिक्षा-अनपढ़।
- व्यवसाय-ई-रिक्शा चालक।

04-आपराधिक इतिहास-

- *अभियुक्त रोहन उर्फ गुड्डू के का आपराधिक इतिहास हैं-*

1. मु0अ0सं0-260/2022 धारा 379/427 भादवि0 थाना सिविल लाइन्स, जनपद मुजफ्फरनगर।
2. मु0अ0सं0-287/2025 धारा 304(2)/317(2) भा0 न्या0 संहिता थाना सिहानी गेट, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0-378/2025 धारा 304(2)/317(2) भा0 न्या0 संहिता थाना सिहानी गेट, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0-632/2023 धारा 379/427 भादवि0 थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर।
5. मु0अ0सं0-636/2026 धारा 379/427 भादवि0 थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0-665/2023 धारा 379/411 भादवि0 थाना बिसरख,कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0-677/2023 धारा 379/427 भादवि0 थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0-693/2023 धारा 379/427 भादवि0 थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
9. मु0अ0सं0-696/2023 धारा 379/427 भादवि0 थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
10. मु0अ0सं0-697/2023 धारा 379/427 भादवि0 थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
11. मु0अ0सं0-698/2023 धारा 379/427 भादवि0 थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
12. मु0अ0सं0-721/2023 धारा 379/427 भादवि0 थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
13. मु0अ0सं0-736/2023 धारा 379/427 भादवि0 थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
14. मु0अ0सं0-756/2023 धारा 379/427 भादवि0 थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
15. मु0अ0सं0-760/2023 धारा 379 भादवि0 थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
16. मु0अ0सं0-920/2023 धारा 379/427 भादवि0 थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
17. मु0अ0सं0- 48/2024 धारा 379/427 भादवि0 थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
18. मु0अ0सं0-61/2024 धारा 307/414 भादवि0 व 25/27/3 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
19. मु0अ0सं0-361/2023 धारा 379/427 भादवि0 थाना फेस तृतीय कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
20. मु0अ0सं0-385/2023 धारा 380 भादवि0 थाना फेस तृतीय कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
21. मु0अ0सं0-0212/2026 धारा 318(4) भा0न्याय0सं0 थाना कृष्णानगर, लखनऊ।
22. मु0अ0सं0-231/2026 धारा-304(2) भा0न्याय0सं0 थाना कृष्णानगर, लखनऊ।
23. मु0अ0सं0-268/2026 धारा 303(2) भा0 न्या0 संहिता थाना पीजीआई लखनऊ।
24. मु0अ0सं0-122/2026 धारा 304(2) भा0 न्या0 संहिता थाना आशियाना लखनऊ।
25. मु0अ0सं0-343/2026 धारा 309(6)/3(5) भा0 न्या0 संहिता थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।
26. मु0अ0सं0-236/2026 धारा 109(1)/318(4)/304(2)/317(2)B.N.S व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कृष्णानगर लखनऊ।

➢ *अभियुक्त साहिल का आपराधिक इतिहास-*

1. मु0अ0सं0-360/2022 धारा 380/411 भादवि0 थाना अजगैन जनपद उन्नाव।
2. मु0अ0सं0-374/2022 धारा 379/411 भादवि0 थाना अजगैन जनपद उन्नाव।
3. मु0अ0सं0-400/2022 धारा 25/3 आर्म्स एक्ट थाना अजगैन जनपद उन्नाव।
4. मु0अ0सं0-99/2024 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना नोएडा सेक्टर-39 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0-0212/2026 धारा 318(4) भा0न्याय0सं0 थाना कृष्णानगर, लखनऊ।
6. मु0अ0सं0-231/2026 धारा-304(2) भा0न्याय0सं0 थाना कृष्णानगर, लखनऊ।
7. मु0अ0सं0-268/2026 धारा 303(2) भा0 न्या0 संहिता थाना पीजीआई लखनऊ।
8. मु0अ0सं0-122/2026 धारा 304(2) भा0 न्या0 संहिता थाना आशियाना लखनऊ।
9. मु0अ0सं0-343/2026 धारा 309(6)/3(5) भा0 न्या0 संहिता थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।
10. मु0अ0सं0-236/2026 धारा 109(1)/318(4)/304(2)/317(2)B.N.S व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कृष्णानगर लखनऊ।

➢ *अभियुक्त सुमित उर्फ लेफ्टी का आपराधिक इतिहास-*

1. मु0अ0सं0-196/2017 धारा 379/411 भादवि0 थाना अकबरबाद जनपद अलीगढ़।
2. मु0अ0सं0-331/2023 धारा 379 भादवि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0-154/2023 धारा 2/3 यूपी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सिरसा कलार जनपद जालौन।
4. मु0अ0सं0-778/2017 धारा 379/411 भादवि0 थाना राया जनपद मथुरा।
5. मु0अ0सं0-360/2022 धारा 380/411 भादवि0 थाना अजगैन जनपद उन्नाव।
6. मु0अ0सं0-401/2022 धारा 25/3 आर्म्स एक्ट थाना अजगैन जनपद उन्नाव।
7. मु0अ0सं0-82/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद समाज विरोधी निवारण अधि0 थाना अजगैन उन्नाव।
8. मु0अ0सं0-0212/2026 धारा 318(4) भा0न्याय0सं0 थाना कृष्णानगर, लखनऊ।
9. मु0अ0सं0-231/2026 धारा-304(2) भा0न्याय0सं0 थाना कृष्णानगर, लखनऊ।
10. मु0अ0सं0-268/2026 धारा 303(2) भा0 न्या0 संहिता थाना पीजीआई लखनऊ।
11. मु0अ0सं0-122/2026 धारा 304(2) भा0 न्या0 संहिता थाना आशियाना लखनऊ।
12. मु0अ0सं0-343/2026 धारा 309(6)/3(5) भा0 न्या0 संहिता थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।
13. मु0अ0सं0-236/2026 धारा 109(1)/318(4)/304(2)/317(2)B.N.S व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कृष्णानगर लखनऊ।

➢ *अभियुक्त समीर उर्फ अनुराग का आपराधिक इतिहास-*

1. मु0अ0सं0-99/2024 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना नोएडा सेक्टर 39, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0-0212/2026 धारा 318(4) भा0न्याय0सं0 थाना कृष्णानगर, लखनऊ।
3. मु0अ0सं0-231/2026 धारा-304(2) भा0न्याय0सं0 थाना कृष्णानगर, लखनऊ।
4. मु0अ0सं0-268/2026 धारा 303(2) भा0 न्या0 संहिता थाना पीजीआई लखनऊ।
5. मु0अ0सं0-122/2026 धारा 304(2) भा0 न्या0 संहिता थाना आशियाना लखनऊ।
6. मु0अ0सं0-343/2026 धारा 309(6)/3(5) भा0 न्या0 संहिता थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।
7. मु0अ0सं0-236/2026 धारा 109(1)/318(4)/304(2)/317(2)B.N.S व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कृष्णानगर लखनऊ।

➢ *अभियुक्त रवि चौरसिया का आपराधिक इतिहास-*

1. मु0अ0सं0-374/2022 धारा 379/411 भादवि0 थाना अजगैन उन्नाव ।
2. मु0अ0सं0-82/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद समाज विरोधी निवारण अधि0 थाना अजगैन उन्नाव ।
3. मु0अ0सं0-0212/2026 धारा 318(4) भा0न्याय0सं0 थाना कृष्णानगर, लखनऊ ।
4. मु0अ0सं0-231/2026 धारा-304(2) भा0न्याय0सं0 थाना कृष्णानगर, लखनऊ ।
5. मु0अ0सं0-268/2026 धारा 303(2) भा0 न्या0 संहिता थाना पीजीआई लखनऊ ।
6. मु0अ0सं0-122/2026 धारा 304(2) भा0 न्या0 संहिता थाना आशियाना लखनऊ।
7. मु0अ0सं0-343/2026 धारा 309(6)/3(5) भा0 न्या0 संहिता थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ ।
8. मु0अ0सं0-236/2026 धारा 109(1)/318(4)/304(2)/317(2)B.N.S व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कृष्णानगर लखनऊ।

➢ *अभियुक्त अरुन उर्फ बुवन का आपराधिक इतिहास-*

1. मु0अ0सं0-0212/2026 धारा 318(4) भा0न्याय0सं0 थाना कृष्णानगर, लखनऊ ।
2. मु0अ0सं0-231/2026 धारा-304(2) भा0न्याय0सं0 थाना कृष्णानगर, लखनऊ ।
3. मु0अ0सं0-268/2026 धारा 303(2) भा0 न्या0 संहिता थाना पीजीआई लखनऊ ।
4. मु0अ0सं0-122/2026 धारा 304(2) भा0 न्या0 संहिता थाना आशियाना लखनऊ।
5. मु0अ0सं0-343/2026 धारा 309(6)/3(5) भा0 न्या0 संहिता थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ ।
6. मु0अ0सं0-236/2026 धारा 109(1)/318(4)/304(2)/317(2)B.N.S व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कृष्णानगर लखनऊ।

➢ *अभियुक्त सुमित पुत्र गुरुस्वामी का आपराधिक इतिहास-*

1. मु0अ0सं0-0212/2026 धारा 318(4) भा0न्याय0सं0 थाना कृष्णानगर, लखनऊ ।
2. मु0अ0सं0-231/2026 धारा-304(2) भा0न्याय0सं0 थाना कृष्णानगर, लखनऊ ।
3. मु0अ0सं0-268/2026 धारा 303(2) भा0 न्या0 संहिता थाना पीजीआई लखनऊ ।
4. मु0अ0सं0-122/2026 धारा 304(2) भा0 न्या0 संहिता थाना आशियाना लखनऊ।
5. मु0अ0सं0-343/2026 धारा 309(6)/3(5) भा0 न्या0 संहिता थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ ।
6. मु0अ0सं0-236/2026 धारा 109(1)/318(4)/304(2)/317(2)B.N.S व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कृष्णानगर लखनऊ।

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0-0212/2026 धारा 318(4) भा0न्याय0सं0 थाना कृष्णानगर, लखनऊ ।
2. मु0अ0सं0-231/2026 धारा-304(2) भा0न्याय0सं0 थाना कृष्णानगर, लखनऊ ।
3. मु0अ0सं0-268/2026 धारा 303(2) भा0 न्या0 संहिता थाना पीजीआई लखनऊ ।
4. मु0अ0सं0-122/2026 धारा 304(2) भा0 न्या0 संहिता थाना आशियाना लखनऊ।
5. मु0अ0सं0-343/2026 धारा 309(6)/3(5) भा0 न्या0 संहिता थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ ।
6. मु0अ0सं0-236/2026 धारा 109(1)/318(4)/304(2)/317(2)B.N.S व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कृष्णानगर लखनऊ।

06-बरामदगी का विवरण-

- दो अदद तमंचा-315 बोर।
- तीन अदद खोखा एंव 01 अदद जिन्दा कारतूस-315 बोर बरामद।
- दो अदद खोखा कारतूस (09 MM)बरामद।
- एक रूपये स्वरूप रद्दी कागज की गड्डी।
- एक अदद इस्तेमाली काला बैग।
- दो अदद पल्सर बरामद।
- एक अदद चार पहिया वाहन बरामद।
- एक अदद चैन (पीली धातु बरामद)।
- एक अदद भिन्न भिन्न कम्पनी की सिगरेट से भरा थैला-138 पैकेट बरामद ।
- 10. नगदी 27,400 रुपये बरामद।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- कोतवाली कृष्णानगर पुलिस एंव सर्विलांस टीम (दक्षिणी) कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-894

दिनांक-31.05.2026

जोन-उत्तरी/थाना-इंटौजा

➢ **थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा जनता के सहयोग से छेड़छाड़ करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 31.05.2026 को वादी द्वारा थाना इटौंजा पर प्रस्तुत लिखित तहरीर के आधार पर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त द्वारा घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-77/2026 धारा 74/333 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा धारा 9(M)/10 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए थाना इटौंजा पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की गई। पुलिस टीम द्वारा प्राप्त सूचना एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त की तलाश हेतु प्रभावी प्रयास किए गए। इसी क्रम में थाना इटौंजा पुलिस बल ने **ग्रामवासियों के सहयोग से** अभियोग में नामजद अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार पुत्र स्वर्गीय रामरसन, निवासी ग्राम अरम्बा, थाना इटौंजा, जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 45 वर्ष को ग्राम अरम्बा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। पीड़िता से संबंधित प्रकरण में सभी आवश्यक वैधानिक एवं संरक्षणात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

02-अपराध का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ घर में घुसकर छेडखानी करना

03-पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 77/2026 धारा 74/333 बीएनएस व 9 (M) /10 पाक्सो एक्ट थाना इंटौजा लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.राजू उर्फ राजकुमार पुत्र स्व0 रामरसन निवासी ग्राम अरम्बा थाना इटौंजा जनपद लखनऊ – उम्र 45 वर्ष

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना इटौंजा-

1. उ0नि0 श्री रमेश सिंह यादव थाना इटौजा लखनऊ
2. उ0नि0 श्री बृजलाल थाना इटौंजा लखनऊ
3. का0 अंकुर कुमार थाना इटौंजा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-892
दिनांक-31.05.2026

जोन-पूर्वी/ थाना-चिनहट

सर्विलांस टीम पूर्वी जोन व थाना चिनहट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा पुरानी रंजिश में हुई हत्या के मामले में प्रकाश में आये 01 नफर 25000 रू0 ईनामिया/वांछित शातिर अभियुक्त अरबाज खान को किया गया गिरफ्तार।

01-कार्यवाही का विवरण:-

थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-157/26 धारा 103(1)3(5)/61(2) बीएनएस थाना चिनहट जनपद लखनऊ से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तगण 01. अनस खान पुत्र अनीश खान नि0 कल्याणी विहार कमता थाना चिनहट जनपद लखनऊ उम्र 19 वर्ष 02. आशु निषाद पुत्र सचिन निषाद नि0 कल्याणी विहार कमता थाना चिनहट जनपद लखनऊ 03. प्रियांशु गुप्ता पुत्र बृजेश कुमार गुप्ता नि0 कल्याणी विहार कमता थाना चिनहट जनपद लखनऊ उम्र-21 वर्ष को दिनांक 26.03.2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था तथा आज दिनांक 31.05.2026 को वांछित चल रहे 25 हजार रू इनामिया अभियुक्त अरबाज खान पुत्र सफीर खान निवासी कल्याणी विहार कमता थाना चिनहट जनपद लखनऊ को गिरफ्तार कर आवशयक कार्यवाही की जा रही है।

02-घटना का सक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक-25.03.2026 को वादी मुकदमा दयाशंकर सिंह पुत्र स्वर्गीय देवधारी सिंह निवासी कल्याणी विहार कलोनी जनपद लखनऊ द्वारा वादी के पुत्र की पुरानी रंजीश को लेकर अभियुक्तगण द्वारा हत्या करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-157/26 धारा-103(1) बीएनएस बनाम 01.बाईस्तवा शंका प्रियांशु दोस्त पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना प्र0नि0 श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा द्वारा सम्पादित की जा रही है।

उच्चाधिकारीगण महोदय द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। घटना के सफल अनावरण हेतु उच्चाधिकारीगण महोदय के आदेश निर्देश के क्रम में तत्काल प्रभाव से टीमों का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा दिनांक 26.03.2026 को प्रकाश में आये अभियुक्तगण 01. अनस खान पुत्र अनीश खान नि0 कल्याणी विहार कमता थाना चिनहट जनपद लखनऊ उम्र 19 वर्ष 02. आशु निषाद पुत्र सचिन निषाद नि0 कल्याणी विहार कमता थाना चिनहट जनपद लखनऊ 03. प्रियांशु गुप्ता पुत्र बृजेश कुमार गुप्ता नि0 कल्याणी विहार कमता थाना चिनहट जनपद लखनऊ उम्र-21 वर्ष को दिनांक-26.03.2026 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जिला कारागार में निरूद्ध किया जा चुका है।

अभियोग उपरोक्त में वांछित चल रहे 25 हजार रू0 इनामिया अभियुक्त अरबाज उपरोक्त को आज दिनांक 31.05.2026 को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-अनावरित अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0-157/26 धारा-103(1)/3(5)/61(2) बीएनएस थाना चिनहट जनपद लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. अरबाज खान पुत्र सफीक खान निवासी- कल्याणी विहार कमता थाना चिनहट जनपद लखनऊ

05-अभियुक्त अरबाज खान उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0-552/25 धारा-115(2)/191(2)/324(4)/351(3) बीएनएस थाना चिनहट लखनऊ
2. मु0अ0सं0-324/25 धारा 115(2), 191(2), 352 BNS थाना चिनहट लखनऊ
3. मु0अ0सं0-349/24 धारा-303(2)/317(2) बीएनएस थाना चिनहट लखनऊ
4. मु0अ0सं0-313/24 धारा-379/411 भादवि थाना चिनहट लखनऊ
5. मु0अ0सं0-577/21 धारा- 147/148/323/352/504/506 भा0द0वि0 थाना चिनहट लखनऊ

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

सर्विलांस टीम पूर्वी जोन	थाना चिनहट पुलिस टीम
उ0नि0 अमर नाथ चौरसिया	प्र0नि0 श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा थाना चिनहट लखनऊ
हे0का0 संदीप पाण्डेय	व0उ0नि0 मनोज कुमार थाना चिनहट लखनऊ
हे0का0 अमित कुमार सिंह	उ0नि0 मोहित कुमार थाना चिनहट लखनऊ
का0 शिवानन्द खरवार	उ0नि0 मदन पटेल थाना चिनहट लखनऊ
का0 तरनजीत सिंह	उ0नि0 अजय कुमार थाना चिनहट लखनऊ।
का0 विमल चन्द्र	का0 पूर्ण सिंह थाना चिनहट लखनऊ
का0 अजय यादव	
का0 प्रदीप कुमार	